

## देश-देशांतर : भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या और कानूनी प्रावधान

### परिचर्या में शामिल प्रमुख बहि

- क्या हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए दशा-नरिदेश?
- क्या मॉब लचिगि से संबंधित कानून नहीं है देश में?
- क्या मौजूदा कानून कारगर नहीं है?
- नया कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है?
- मॉब लचिगि को रोकने के उपाय
- नषिकर्ष

### संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

मानव एक सामाजिक प्राणी है और समूह में रहना हमेशा से मानव की एक प्रमुख विशेषता रही है जो उसे सुरक्षा का एहसास कराती है। लेकिन आज जसि तरह से समूह एक उन्मादी भीड़ में तबदील होते जा रहे हैं उससे हमारे भीतर सुरक्षा कम बलकडिर की भावना बैठती जा रही है। भीड़ अपने लिये एक अलग कसिम के तंत्र का निर्माण कर रही है, जसि आसान भाषा में हम भीड़तंत्र भी कह सकते हैं। भीड़ के हाथों लगातार हो रही हत्याएँ देश में चिता का वषिय बनता जा रहा है। आए दनि कोई-ना-कोई व्यक्ति हसिक भीड़ का शकिार हो रहा है।

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में भीड़ द्वारा की जा रही हसिक घटनाओं की नदि की और केंद्र तथा राज्य सरकारों को दशा-नरिदेश जारी किये। साथ ही संसद से इस संबंध में कड़ा कानून बनाने के लिये कहा।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र व राज्य सरकारों से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। पछिले दो महीनों में 17 लोगों की हसिक भीड़ द्वारा हत्या की जा चुकी है। जबकि पछिले साल मई से अब तक व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों के चलते 28 लोग हसिक भीड़ का शकिार होकर जान गँवा चुके हैं।

### क्या है भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या (Mob Lynching)?

जब अनरिंतरित भीड़ द्वारा कसिी दोषी को उसके कयि अपराध के लिये या कभी-कभी अफवाहों के आधार पर बना अपराध कयि भी उसी समय सज़ा दी जाए अथवा उसे पीट-पीट कर मार डाला जाए तो इसे भीड़ द्वारा की गई हत्या (Mob Lynching) कहते हैं। इस तरह भीड़ द्वारा की गई हत्या में हमेशा एक संदेश नहिति होता है जो भीड़ द्वारा समाज में प्रेषित किया जाता है। इस तरह की हत्या में कसिी कानूनी प्रक्रिया या सदिधांत का पालन नहीं किया जाता।

### क्यों होती हैं ये घटनाएँ?

- बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अविश्वास की एक गहरी खाई होती है जो क हमेशा एक-दूसरे को संशय की दृष्टि से देखने के लिये उकसाती है और मौका मिलने पर वे एक-दूसरे से बदला लेने के लिये भीड़ का इस्तेमाल करते हैं।
- समाज में व्याप्त गुस्सा भी इसमें एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, चाहे वह गुस्सा कसिी भी रूप में हो; यह गुस्सा शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था या सुरक्षा को लेकर भी हो सकता है जो क अंततः उन्मादी भीड़ के रूप में बाहर आता है।
- राजनीति भी हसितात्मक भीड़ का प्रमुख कारण होती है, कभी वोट बैंक के लिये प्रयोजित हसिा या कभी धर्म के नाम पर करवाई गई हसिा, राजनीतिक दलों को राजनीतिक लिये एक वसितृत पृष्ठभूमि प्रदान करती है।

### नॉट इन माय नेम (#NotInMyName)

- तीन साल पहले जब आईएसआईएस (ISIS) का आतंक चरम पर था और उसने इस्लाम के नाम पर इसे न्यायोचिति ठहराना शुरू किया तो इसका बुरा प्रभाव समस्त इस्लामिक जगत पर पड़ने लगा। अतः शेष समाज के पूरवाग्रह से बचने और खुद को आतंकी इस्लाम से अलग दर्शाने के लिये बरटिन के मुस्लिम युवाओं द्वारा चलाया गया यह एक ऑनलाइन अभियान था।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह संदेश देना था क धर्म के नाम पर की जाने वाली हत्याओं का संबंध सरिफ कुछ धर्मांध लोगों या समूहों से ही है, न

कंप्यूरे धार्मिक समुदाय से।

- इसी प्रकार भारत में भी धर्म और जाति के नाम पर जारी हिंसा का वरीध करने के लिये पिछले वर्ष जून माह में यह प्रदर्शन किया गया जिसमें 'नॉट इन माइ नेम' (मेरे नाम से नहीं) लिखी तख्तियाँ दिखाकर लोग यह कहना चाहते थे कि वे इन हत्याओं के खिलाफ हैं और इनकी नदि करते हैं।
- ये प्रदर्शन दिल्ली के अलावा चंडीगढ़, कोलकाता, बंगलूरु, हैदराबाद और त्रिविंद्रम समेत कई शहरों में आयोजित किये गए।

(टीम वृष्टि इनपुट)

## सर्वोच्च न्यायालय का नरिदेश

- देश में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या यानी मॉब लचिगि की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिये हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिदेश दिया है। न्यायालय ने संसद से मॉब लचिगि के खिलाफ नया और सख्त कानून बनाने को कहा है।
- न्यायालय ने इस संबंध में कहा, 'कोई भी नागरिक अपने आप में कानून नहीं बन सकता है। लोकतंत्र में भीड़तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती।' साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिया कि वे संविधान के मुताबिक काम करें। न्यायालय ने सरकार को इन बढ़ती घटनाओं की अनदेखी नहीं करने का नरिदेश दिया।
- न्यायालय ने आगे कहा कि राज्यों को शांति बनाए रखने की जरूरत है। इन घटनाओं के लिये नविरक, उपचारात्मक और दंडनीय उपायों को नरिधारित किया गया है। इससे जुड़े अन्य सुझावों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति, फ्रास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल और पुलिस अधिकर्षक स्तर के जाँच अधिकारियों की नियुक्ति जैसे कदम भी शामिल हैं।
- इस दशा-नरिदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण, संदेश तथा वीडियो इत्यादि को लेकर भी नगरिानी करने का नरिदेश सरकार को दिया है। जबकि इससे पूर्व एक मामले में न्यायालय ने सरकार पर सर्वलिंस स्टेट बनने की टपिणी की थी।
- केंद्र और राज्यों को नरिदेश देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बहुलवादी पहलू की रक्षा की जानी चाहिये। न्यायालय ने राज्य सरकारों को लचिगि रोकने से संबंधित दशा-नरिदेश को चार हफ्ते में लागू करने का आदेश दिया है।

## संबंधित कानूनी प्रावधान

- भारतीय दंड संहिता में लचिगि जैसी घटनाओं के वरिद्ध काररवाई को लेकर कसिी तरह का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और इन्हें धारा- 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 323 (जानबूझकर घायल करना), 147-148 (दंगा-फसाद), 149 (आज्जा के वरिद्ध इकट्ठे होना) तथा धारा- 34 (सामान्य आशय) के तहत ही नपिटाया जाता है।
- भीड़ द्वारा कसिी की हत्या किये जाने पर आईपीसी की धारा 302 और 149 को मलिकर पढ़ा जाता है और इसी तरह भीड़ द्वारा कसिी की हत्या का प्रयास करने पर धारा 307 और 149 को मलिकर पढ़ा जाता है तथा इसी के तहत काररवाही की जाती है।
- आपराधिक दंड संहिता की धारा 223A में भी इस तरह के अपराध के लिये उपयुक्त कानून के इस्तेमाल की बात कही गई है, सीआरपीसी में भी स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
- भीड़ द्वारा की गई हिंसा की प्रकृति और उत्परेरण सामान्य हत्या से अलग होते हैं इसके बावजूद भारत में इसके लिये अलग से कोई कानून मौजूद नहीं है।

## क्यों है नए कानून की आवश्यकता?

- देश में कानून तो पर्याप्त हैं, लेकिन उन कानूनों का ईमानदारीपूर्वक पालन न करने से अपराधों में वृद्धि देखी गई है।
- कानूनों का करयानवयन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। कानून का करयानवयन करने की ज़मिंदारी व्यवस्थापिका की होती है लेकिन काररकारी स्तर पर ही लचरता के कारण इसमें अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त होता है।
- राजनैतिक हस्तक्षेप और अपराधियों को महामिंडति करने की वर्तमान प्रवृत्ति के कारण इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों का मनोबल बढ़ता है, अतः नए कानून के आने से इन घटनाओं में शामिल लोगों के मन में कानून के डर को स्थापित किया जा सकेगा।
- कानूनों को लागू करने वाले तंत्र में अपेक्षित समर्पण और व्यावसायिक दक्षता की कमी है। पहले अपराधियों को इस हद तक लाचार कर दिया जाता था कि वे दोबारा अपराध के लिये साहस नहीं जुटा पाते थे लेकिन अब प्रशासनिक महकमे में यह क्वत नहीं देखिती।
- वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों और समय के हिसाब से भी वरिद्यमान कानूनों में संशोधन या नए कानूनों की आवश्यकता देखिती है।

## सोशल मीडिया द्वारा अफवाहों को रोकने हेतु उठाए गए कदम

- सरकार द्वारा अफवाहों को रोकने के लिये जल्द ही एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई जाएगी, देश के आईटी मंत्रालय को इसका ड्राफ्ट तैयार करने का ज़मिमा सौंपा गया है।
- देश में व्हाट्सएप पर अफवाहों के बाद होने वाली हिंसा को लेकर केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को नोटिस भेजा था। इसके बाद कंपनी ने कदम उठाते हुए पिछले दिनों अखबारों में वजिजापन जारी करते हुए लोगों को इस बात की जानकारी दी थी कि फिर्जी मैसेज को कैसे पहचानें।
- हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में मैसेज की लमिति तय करने का फ़ैसला लिया है। इसके अनुसार, भारत में व्हाट्सएप यूज़र अब कोई भी मैसेज को एक बार में पाँच चैट्स से ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे।
- साथ ही कंपनी चैट के पास नज़र आने वाले क्वकि फॉरवर्ड बटन को भी हटाने की तैयारी में है।
- कुछ दिनों पहले भी वाट्सएप ने ग्रुप चैट में कई नए फीचर एड किये थे। इस सेंड परमीशन फीचर के तहत वाट्सएप ग्रुप का एडमिन अब यह फ़ैसला ले सकता है कि ग्रुप का कौन सा मंबर मैसेज कर सकता है और कौन सा नहीं।

- अफवाहों पर रोक लगाने के लिये वाट्सएप डजिटल लटिरेसी प्रोग्राम का भी सहारा लेगा। इसके लिये कंपनी, सेंटर फॉर सोशल रसिर्च सहति सात संस्थाओं के साथ मलिकर काम कर रही है। उसकी कोशशि है कएक ऐसा प्रोग्राम वकिसति कयिा जाए जो उसके यूज़र्स को सतरक बना सके।

(टीम दृष्टिइनपुट)

### भीड़ द्वारा की जाने वाली हसिा को रोकने के उपाय

- कानूनों का नषिठापूरवक पालन कयिा जाना चाहयिे, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लयिे शुरुआती कदम उठाते हुए त्वरति कारयवाही की जानी चाहयिे।
- अपराधयिों को राजनैतिक प्रशरय न प्रदान करते हुए उनके लयिे सख्त-से-सख्त सज़ा सुनशिचति की जानी चाहयिे।
- हर परस्थितिमें नविरक उपायों का करयिान्वयन संभव नहीं है, अतः पुलसि को ऐसी स्थितिमें उचति कदम उठाने की अनुमतदिी जानी चाहयिे।
- पुलसि बलों का तकनीकी और कौशल उन्नयन कयिा जाना चाहयिे, साथ ही पुलसि बलों की संख्या में वृद्धिभी की जानी चाहयिे।
- वशिषज्ज कानूनवदिों की वयवस्था की जानी चाहयिे ताकअपराधी कानून की कमयिों का फायदा उठाते हुए बच न नकिलें।
- इस तरह की घटनाओं में सोशल मीडयिा द्वारा फैलाई गई अफवाहों का सर्वाधिक योगदान होता है जो भीड़ को एकत्रति करने में बड़ी भूमकिा अदा करती है, अतः इन पर लगाम लगाने की सख्त आवश्यकता है।

### आगे की राह

- अभी तक आम हत्या और भीड़ द्वारा की गई हत्या को कानून के दृष्टिसे एक ही माना जाता है, इन दोनों को कानूनन अलग-अलग परभाषति करना होगा।
- भीड़ द्वारा की गई हत्या की पहचान करनी होगी और फरि उसके बाद उस पर दहेज रोकथाम अधनियिम और पॉस्को की तरह एक सख्त और असरदायक कानून बनाना पड़ेगा।
- सोशल मीडयिा और इंटरनेट के प्रसार से भारत में अफवाहों के प्रसार में तेज़ी देखी गई है जिससे समस्या और भी गंभीर हो गई है। एक रसिर्च के मुताबकि, 40 फीसदी पढ़े-लिखे युवा भी खबर की सच्चाई को नहीं परखते और उसे अग्रसारति कर देते हैं, इस संदर्भ में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है।

**नषिकरष:** हाल-फलिहाल के दनिों में उनमादी भीड़ द्वारा एक के बाद एक कई इंसानों की जान ले ली गई। यह एक ऐसा तंत्र है जिसकी न तो कोई वचिरधारा है और न ही कोई सरोकार। वो कहीं भी कसिी भी बात पर आकरामक हो जाती है और जसि कसिी से भी इसको नफरत या घृणा होती है उसे उसी वकत सज़ा देने का फैसला कर देती है। इन घटनाओं में बढोतरी होने की वज़ह लोगों के मन में बसा गुस्सा है। वह गुस्सा कसि बात पर है यह मायने नहीं रखता। लोग गुस्से में हैं, नाराज़ हैं और हताश हैं लेकिन उन्हें खुद पता नहीं है कएसा कयों है। इसे कानून वयवस्था की समस्या के तौर पर ही नहीं बल्क समाज में बनी वसिंगतयिों के समाधान द्वारा ही सुलझाया जा सकता है।

इस बारे में और अधिक जानकारी के लयिे इस लकि्स पर क्लकि करें:

[भीड़ द्वारा की जा रही हत्याएँ: मूल अधिकारों का चीरहरण](#)